XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 11:26–पीबीआर/13 जिला – रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, पिपलोदा जिला रतलाम के द्वारा प्र0क0 8/अ–70/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–3–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत दिनांक 5–9–12 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 416/1/2 का सीमांकन दिनांक 24–6–12 को किया गया जिसमें उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 416/1/2 की उत्तरी मेढ़ से 2 जरीब 40 कड़ी व पश्चिम मेड पर तथा उत्तरी पूर्व मेढ से दक्षिण की ओर 2 जरीब 40 कड़ी तथा सर्वे नं. 419/1/2 व 416/1/2 के मध्य से 5 जरीब 50 कड़ी पर अवैध कब्जा आवेदकों का पाया गया है अतः अवैध कब्जा हटाया जाकर उक्त भूमि अनावेदिका को दिलाई जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की एवं आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा आवेदकों से अनावेदिका को भूमि का कब्जा प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वापिस दिलाए जाने के आदेश दिये एवं प्रकरण अनावेदिका की साक्ष्य हेतु नियत किया गया । इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकों द्वारा सीमांकन प्रकरण को चुनौती दी गई है साथ ही सीमांकन से नक्शा त्रुटि का प्रश्न उत्पन्न हुआ है उसे भी चुनौती दी गई है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

चूंकि सीमांकन कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष लंबित है ऐसी स्थिति में अनावेदिका के आवेदन पर कार्यवाही न्यायोचित नहीं है । जिस सीमांकन कार्यवाही के आधार पर वर्तमान प्रकरण प्रारंभ हुआ है उसमें आवेदकों को सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य अंतरिम आदेश के पूर्व आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदकों को विधिवत सूचना दी गई है वह उपस्थित थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह विधिसम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका को कब्जा भी दिला दिया गया है । अंत में उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । प्रकरण में अनावेदिका के स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों का अवैध आधिपत्य अंतरिम रूप से प्रमाणित माना है, इस कारण आवेदकों से अनावेदिका को आधिपत्य वापिस दिलाए जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है । अभिलेख के अनुसार अनावेदिका को कब्जा वापिस दिलाया जा चुका है । प्रकरण में अभी अंतिम निराकरण होना है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

सदस्य

1

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 निगरानी R- 1126- PBR/13

संतोषकुमार आत्मज भागीरथ पाटीदार

निवासी ग्राम–बडायलामाताजी,

तहसील पिपलोदा, जिला–रतलाम ———आवेदक

विरूद्ध

दरियाब बाई पत्नि घनश्याम पाटीदार

निवासी ग्राम– राकोंदा,तहसील–पिपलोदा

जिला– रतलाम ——— अनावेदक

श्री एस. के. वाजपेयी द्वारा आज दि. 2/3/13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2/3/13

तहसीलदार पिपलोदा द्वारा प्र0क0 8–अ70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक11–03–2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता हैः–

1– यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध,अनुचित एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा दिये गये आवेदन अंतर्गत धारा–250 एवं उसकी उपधारा–3 के अंतर्गत दिये गये आवेदनो पर विचारा किये बिना विवादित आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

2/3/2013

3. यह कि, आवेदक भूमि सर्वे क्रमांक 416/1/1 का अभिलिखित भूमि स्वामी है आवेदक की भूमि का क्षेत्रफल 10 बीघा है एवं आवेदक का अनावेदक की भूमि के किसी भी भाग पर आधिपत्य नहीं है.

4. यह कि, अनावेदक ने जिस सीमांकन कार्यवाही के आधार पर धारा–250 के अंतर्गत आवेदन दिया है उस सीमांकन की कार्यवाही को आवेदक ने वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। सीमांकन की कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष विवादित है अतः उसके आधार पर अनावेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है.